वीरांगनाएं फिर मुख्यमंत्री से मिलने निकली, पुलिस ने रोका तो मुंह में घास लेकर नतमस्तक हुई

पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने गुरुवार को फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, जब पुलिस ने उन्हें रोका तो मुंह में हरी घास लेकर जमीन पर लेटकर नतमस्तक होकर सीएम से मिलने की गुहार लगाई।

- **खाचरियावास का मध्यस्थता करने से इंकार, कहा, ''मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद कुछ नहीं बोल सकता'**
- **किरोड़ी ने कहा, ''मांगे नहीं मानने तक जारी रहेगा धरना''**

जयपुर, (का.प्र.)। पिछले 10 दिन से धरना दे रही पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने गुरुवार को फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, लेकिन उन्हें राजभवन चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान वीरांगनाओं ने पुलिस के आगे मुंह में हरी घास लेकर जमीन पर लेटकर नतमस्तक होकर गुहार लगाई और कहा कि वह अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री तक जाना चाहती हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए।

तीन वीरांगनाएं जयपुर में 7 दिन शहीद स्मारक पर धरना देने के बाद पिछले 3 दिन से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरना दे रही हैं। गुरुवार दोपहर बाद किरोड़ी लाल मीणा के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद वीरांगनाओं ने आदिवासी परंपरा के अनुसार मुंह में हरी घास लेकर पुलिस से दंडवत होकर निवेदन किया कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने दिया जाए। दरअसल आदिवासी समाज में परंपरा है कि किसी भी फरियाद या विनती को मुंह में हरी घास लेकर करने से वो पूरी होती है। वीरांगनाओं ने कहा कि हमें 10 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। बेमौसम बारिश में हम भीग रहे हैं, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार इस कदर गूंगी-बहरी हो चुकी है कि उन्हें हमारी मांग सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए हम सीएम गहलोत से मिलने के लिए उनके आवास पर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर तानाशाही रुख अपनाते हुए हमें रोक लिया। हमे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वीरांगनाओं ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है पति के बाद मिलने वाली नौकरी देवर को दी जाए। इसके साथ ही सांगोद चौराहे पर शहीद की मूर्ति लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ये छोटी सी मांग सरकार नहीं मान रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की वीरांगनाओं को अपनी चुनी हुई सरकार के नेता से मिलने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। सरकार इस कदर गूंगी-बहरी हो चुकी है कि उन्हें इन वीरांगनाओं के आंसू भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीणा ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती धरना जारी रहेगा।

गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी मजबूरी जताते हुए कह दिया कि कैसे इस मामले में शहीद के बच्चों की जगह शहीदों के दूसरे परिजनों को नौकरी दे सकते हैं, अगर वह ऐसा करेंगे तो शहीदों के उन बच्चों का क्या होगा। इधर इस मामले में मध्यस्थ बनाए गए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आपको इस मामले से किनारे कर लिया है। खाचरियावास ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देवर को नौकरी देने के लिए हम तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया और मुख्यमंत्री के ट्वीट आने के बाद किसी मंत्री के पास बोलने को कुछ रह नहीं जाता। खाचरियावास ने कहा कि अब यह मामला मुख्यमंत्री के पास है। हम तो उसी दिन इस मामले को खत्म कर रहे थे। ऐसे में अब हमारे पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि अब हम मंत्री के नाते ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वीरांगना के मामले को सुलझाएं। खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही हम दो दिन पहले वीरांगनाओं से वार्ता करने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। वैसे भी मुख्यमंत्री हम मंत्रियों से पूछ कर तो ट्वीट करते नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि गहलोत के कहने पर तीनों वीरांगनाओं से बात करने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री शकुंतला रावत पहुंची थीं। उन्होंने वीरांगनाओं की मांगों को मानने के लिए हां भी कर दिया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर साफ कर दिया कि वीरांगना के देवर को नौकरी देने में कानूनी अड़चन है तो अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में मध्यस्थता करने से हाथ खींच लिए है।

वीरांगनाओं ने पूछा सवाल, ''आख़िर मुख्यमंत्री क्यों कतरा रहे हैं मिलने से?''

दसवें दिन भी जारी रहा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना। मीणा ने कहा निष्ठुरता की सीमा पार कर रहे हैं मुख्यमंत्री

जयपुर। न्याय की माँग को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी वीरांगनाओं का ग़ुस्सा गुरुवार को एक बार फिर फूट पड़ा। तेज़ बारिश में वीरांगनाएं धरना स्थल सचिन पायलट के आवास से मुख्यमंत्री आवास की ओर से कूच कर गई। यहाँ पुलिस कर्मियों के साथ उनकी ज़ोरदार झड़प भी हुई। उन्होंने दाँतों में तिनका दबाकर शरणागत होते हुए शहीदों के सम्मान की बात कही।

दोपहर बाद तीन बजे वीरांगनाएं बारिश की परवाह किए बिना के मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर गई। यहाँ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मियों ने वीरांगनाओं को रोकने की पूरी कोशिश की। हालात बिगड़ते देखकर सांसद किरोड़ी मीणा भी मौक़े पर पहुँच गये और उन्होंने वीरांगनाओं को रोककर शांति स्थापित की। काफ़ी देर तक झड़प के बाद वीरांगनाओं ने याचना करते हुए कहा कि यह सरकार की हठधर्मिता है कि पिछले 10 दिन से धरने पर बैठने के बावजूद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री के पास इतना भी समय नहीं है की हमारे पति देश की रक्षा के लिए कुरबान हो गए उनसे मिलकर उनका दर्द जान सकें। वीरांगनाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि उनका घर कैसे चल रहा है। हम अपने देवर को नौकरी दिलाना चाह रहे हैं इसमें क्या हम मुख्य मंत्री की बेटे की नौकरी छीन रहे हैं।

डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कहा कि वीरांगनाएँ 10 दिन से धरने पर बैठी है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वीरांगना मंज़ू जाट आमरण पाँच दिन से अनशन पर है एक और वीरांगना को किसी तरह का ख़तरा हुआ तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की रहेगी। डॉक्टर मीणा ने कहा की दाँतों में तिनका दबाए हुए वीरांगनाएं मुख्यमंत्री के शरणागत हो रहे शहीदों के सम्मान की याचना कर रही है पर निष्ठुरता की सीमा पार कर चुके मुख्यमंत्री सम्मान देने के बजाय व्यर्थ की बयानबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर मीना ने कहा कि गुर्जर आंदोलन में मृतक परिवारों में देवर भतीजों आदि सदस्यों को नौकरी दी गई थी जब यहाँ नौकरी दे सकते हैं इस मामले में क्या दिक़्क़त है।

राज्य सरकार ने पेश किया शहर का दस साल का विजन प्लान

- **राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आदेश की पालना में सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने पेश किया प्लान**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से शहर का दस साल का विजन प्लान अदालत में पेश किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से पेश इस प्लान में सफाई, पार्किंग, यातायात, अतिक्रमण और आवारा पशुओं को लेकर बनाई योजना की जानकारी दी गई है।

मुख्य सचिव ऊषा शर्मा की ओर से पेश विजन प्लान में कहा गया है कि शहर की सफाई व्यवस्था नगर निगम से संबंधित है। ग्रेटर और हेरिटेज निगम ने वार्डवार सर्वे कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई है। इसके तहत डोर टू डोर कचरा एकत्रित कर उसका परिवहन किया जाएगा। सार्वजनिक सड़कों की सफाई के साथ ही कचरा डीपो से कचरा एकत्र कर उसका परिवहन किया जाएगा। वहीं शहर में रात्रिकालीन और मशीनों से सफाई की जाएगी। इसके अलावा सफाई के हालातों को जानने के लिए मौके पर समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और कचरा फैलाने वालों से केयरिंग चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा कचरा निस्तारण के लिए केन्द्रीयकृत कंपोस्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा और शहर में मैटेरियल रिकवरी सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कॉमन बायो-मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा के साथ ही कचरागाह पर बायो माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा और एसटीपी प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस किया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से प्लान पेश कर बताया गया कि जेडीए और ट्रेफिक पुलिस मौजूदा परिवहन व्यवस्था में सुधार लाएगी। इसके तहत चौराहों के हालात में सुधार के साथ ही दुर्घटना वाले स्थानों को हटाकर सडकों पर संकेत और मार्किंग की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यकता होने पर आरओबी, आरयूबी और एलिवेटेड रोड निर्माण के साथ ही रोड लाइटों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई अभिनव प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। इसके अलावा प्रदूषण को कम करने के लिए जेसीटीएसएल की ओर से तीन सौ इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से अदालत को बताया गया कि पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ करने अतिक्रमण हटाने और आवारा पशुओं की समस्या समाप्त करने के लिए नगर निगम और जेडीए ने सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। गौरतलब है कि शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मामला हाईकोर्ट में भेजा गया था। हाईकोर्ट ने इसे वर्ष 2015 में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के तौर पर दर्ज कर समय-समय पर राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए। वहीं गत 31 जनवरी को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शहर के विकास को लेकर दस साल का विजन प्लान पेश करने को कहा था।

करोना से एक संक्रमित की मौत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में गुरूवार को करोना से एक संक्रमित की मौत हो गई है। वहीं इस बीच पांच नए मरीज सामने आए हैं। इधर पिछले चौबीस घंटों में केवल तीन ही मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य में फिलहाल 28 नए एक्टिव केस मौजूद है।

प्रदेश में गुरूवार को राजसमंद में 3 और जयपुर में 2 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले राज्य में बुधवार को दो ही रोगी पाए गए थे। इधर आज काफी दिनों बाद राजधानी जयपुर में करोना से एक संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 9656 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में केवल तीन ही मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में 28 एक्टिव केस मौजूद है। इनमें उदयपुर में 16, जयपुर में 5, राजसमंद में 3, अजमेर में 2 और अलवर व जैसलमेर में 1-1 मामला है।

खादी उत्पादों पर विशेष छूट

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत विशेष छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह छूट 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक लागू रहेगी।

कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल

- **डॉक्टर के पूछने पर साथी पुलिसकर्मियों ने बताया की एलर्जी होने से तबीयत खराब हुई है।**

जयपुर। राजधानी के शिप्रा पथ थाने में होली खेलने के दौरान शराब के नशे में साथी कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में पैट्रोल डालने का मामला सामने आया है। जब कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ी गई तो उसे पास ही के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर के पूछने पर साथी पुलिसकर्मियों ने बताया की एलर्जी होने से तबीयत खराब हुई है।

पूरी घटना 8 मार्च की बताई जा रही है। जयपुर के नंबर वन थाने का अवार्ड जीत चुके शिप्रा पथ थाने में शराब के नशे में पुलिसकर्मी पैट्रोल की होली खेल रहे थे। थाने में शराब के नशे में पुलिस के जवान होली की मस्ती में सारी मर्यादाओं को लांघते हुए शराब पीते दिखे। होली खेलने के दौरान सभी जवानों ने थाने में जमकर शराब पी और इसी दौरान कांस्टेबल रोशन, सवाई और छोटू को मस्ती सूझी और 50 वर्षीय अधेड साथी चेतक ड्राइवर कांस्टेबल को पकड़ लिया। कांस्टेबल ने विरोध किया तो तीनों ने पास ही में रखी पेट्रोल की बोतल उठाई और जबरन कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में उडेल दी। पेट्रोल डालते ही कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई और पूरा थाना स्टाफ सकते में आ गया। आनन-फानन में बेहोशी की हालत में कांस्टेबल को पास ही के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर से पूछने पर साथी पुलिसकर्मी ने बताया कि एलर्जी होने की वजह से तबीयत बिगड़ी है। उसके बाद उसे घर छोड़ दिया गया।

'राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल' में पंजीकृत होने के लिये प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी नहीं'

हाईकोर्ट में पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होने के लिये इस शर्त को रद्द करने के लिये याचिका दायर की

- **वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले में सुनवाई की तारीख तय नहीं हो पाई है परंतु मामले को जानने वाले वकीलों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई करेगी**
- **याचिकाकताओं का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 16(1), 16(2) और 16(3) के तहत राज्य सरकारें किसी भी व्यक्ति के मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकतीं**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में वीरेन्द्र कुमार तथा 11 अन्य याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका दायर करते हुए अदालत से गुहार की है कि 'राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल' में पंजीकृत होने के लिये राजस्थान का मूल निवासी होने की शर्त को रद्द किया जाये। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी गुहार की है कि अगर उन्हें राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण नहीं किया जा सकता तो भी उन्हें 'असिस्टेंट रेडियोग्राफर' के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये योग्य घोषित किया जाये। बहरहाल हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है परंतु मामले को जानने वाले वकीलों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई करेगी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा और उनके सहायक आनंद कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है।

वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि वे उत्तरप्रदेश मेडिकल फैकल्टी के सदस्य हैं। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने 14 दिसम्बर 2022 को उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखकर कहा कि अगर उक्त सदस्यों की सदस्यता उत्तरप्रदेश मेडिकल फैकल्टी ने रद्द नहीं की तो राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल को पंजीयन के लिये आवेदन को रद्द करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि इसी विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पद की नियुक्ति के लिये जारी विज्ञप्ति के संदर्भ में दायर उनके आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। तब राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किये कि याचिकाकर्ता पद के लिये आवेदन देने के लिये योग्य हैं, परंतु अदालत ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ताओं की राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में सदस्यता और भर्ती प्रक्रिया के परिणाम अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 20 फरवरी 2023 को राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल (अमेन्डमेंट) रेगुलेशन-2023 अधिकारिक गजट में प्रकाशित कर दिये जिसमें नियम 42 का संशोधन किया गया और पैरा मेडिकल काउंसिल में सदस्यता पाने के लिये प्रदेश का मूल निवासी होने की शर्त को जोड़ा गया। जैसा कि विदित है कि प्रदेश का मूल निवासी घोषित होने के लिये उम्मीदवार को प्रदेश में कम से कम 10 साल पहले से निवासी होना चाहिये और उसको साबित करने के लिये उपयुक्त दस्तावेज भी होने चाहिये।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 15 दिसम्बर 2022 को असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पद की नियुक्ति के लिये जारी विज्ञापन में लिखा गया है कि राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल के सदस्य ही नियुक्तियों के लिये आवेदन भेज सकते हैं। परंतु नये संशोधित नियमों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल का सदस्य नहीं बनने देना चाहती ताकि वह 'असिस्टेंट रेडियोग्राफर' के पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन नहीं दे पाये। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 16(1), 16(2) और 16(3) के तहत राज्य सरकारें किसी भी व्यक्ति के मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकतीं। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि भारत में कही पर भी रहे और कोई भी कार्य या व्यापार करे। परंतु राज्य सरकार के इस फैसले की मेडिकल काउंसिल का सदस्य होने के लिये प्रदेश का मूल निवासी होना पड़ेगा, यह असंवैधानिक है।

बी.के.अग्निहोत्री निदेशक बने

जयपुर, (का.सं.)। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने गुरूवार को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में एक वर्ष के लिए बी.के.अग्निहोत्री को निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया है। बी.के.अग्निहोत्री वर्तमान में राविउनि के मुख्य लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत है तथा निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्हें राजस्थान राज्य विद्युत मंडल और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों में कार्य करने का 34 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

द्वितीय पुण्यतिथि

10-03-2023

हमारे पूजनीय

श्री हरिनारायण शर्मा (रिटायर्ड प्रो. राज. कृषि वि.वि.)

आपका समर्पण, सत्यनिष्ठा, उच्च विचार और जीवन मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज हम सभी आपका पुण्य स्मरण करते है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते है।

श्रद्धावनत

उषा शर्मा (पत्नी), गरिमा शर्मा - मनीष दुबे, चारू शर्मा - विनोद द्विवेदी (पुत्री - दामाद), सौम्या, रिद्धिमा (दोहिती) एवम् समस्त परिवार और मित्रगण

आम सूचना दि. 09.03.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य पंकज बनीं पुत्र श्री जयराज बहादुर बनीं, निवासी- 105/70, अहिंसा मार्ग, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर द्वारा फ्लेट नम्बर जी-1, ग्राऊंड फ्लोर, प्लाट नम्बर 97 व 98, महादेव नगर योजना, रामनगरिया, जयपुर स्थित सम्पत्ति को आई. डी. एफ. सी. फर्स्ट बैंक ली. (खाता संख्या 69349646) से ऋण प्राप्त कर बंधक रखा गया है, अब मेरा अभिभाष्य उक्त आई. डी. एफ. सी. फर्स्ट बैंक ली. से लिए गए ऋण की अदायगी एच. डी. एफ. सी. ली. (खाता संख्या 685012700) से ऋण प्राप्त कर उक्त आई. डी. एफ. सी. फर्स्ट बैंक ली. के उक्त ऋण खाते को बंद कर देगा तथा आई. डी. एफ. सी. फर्स्ट बैंक ली. में बंधक रखे गए असल विक्रय पत्र/स्वामित्व संबंधित दस्तावेज लेकर एच. डी. एफ. सी. ली. में बंधक रखेगा। यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, कंपनी, संस्था आदि को मेरे अभिभाष्य के स्वामित्व की उक्त वर्णित सम्पत्ति को एच. डी. एफ. सी. ली. में बंधक रखने से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। भवदीय

(रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट मो.नं. 9829256466

डांगरवाल हाउस, नाना जी का बाग, मोती डूंगरी रोड, फतेह टीबा मार्ग, जयपुर-302004

नाम परिवर्तन

मैं राजन पुत्री हरदयाल सिंह निवासी बावड़ी, तहसील रींगस, जिला सीकर, राजस्थान 332411 सूचित करती हूँ कि मैंने अपना नाम राजन से बदलकर राजकुमारी जाट रख लिया है। मेरी जन्मतिथी 01/07/1988 से 01/07/1989 करनी है भविष्य में मुझे राजकुमारी जाट, जन्मतिथी 01/07/1989 से जाना व पढा जावे।

I have changed name from Vinod Kumar to Vinod Kumar Balana S/o. Lekhraj Balana for all purpose. R/o-2-GA-14, Jawahar Nagar, Jaipur

I have changed my name from nayan Satish Thakar to Nayan Thakar therefore I will be known or distinguished in public by new name of Nayan Thakar 110, 21 South Colony, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan-302012

I have changed my name from Kamal Kumar to Kamal Jangid therefore I will be known or distinguished in public by new name of Kamal Jangid, Plot No. 9 Ganesh Nagar-4 Sitawali Phatak, Benad Road, Murlipura Jaipur City, Rajasthan-302039

After marriage I have changed my name from Era Sharma to Era Gupta W/o Saurabh Gupta for all purpose. Resi.: B-57, Yash Path, Tilak Nagar Jaipur.

I Vimlesh Kumari W/o Indian Army no. 1263623Y Rank Ex NK Late Kamal Singh R/o Plot no. 3 Dev nagar A Simliya Road near Jain farm house Vatika Sanganer Jaipur That I have changed my name From BIMILESH KUMARI (DOB 25/5/1957) is wrong entered in service record To VIMLESH KUMARI (15/9/1964) vide affidavit dated 6 march2023 before district notary Jaipur

आम सूचना दि. 09.03.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री मोहम्मद फकीरा पुत्र स्व. श्री अशफाक, निवासी- मकान नम्बर 153, गली नम्बर 03, न्यू इन्द्रा कॉलोनी, गन्दा पार्क, जलमहल के पास, जयपुर राज. के पुत्र सोहेल व पुत्रवधु अरशबा उनके कहे में नही है व उनकी बात नही मानते है तथा सोहेल ने दिनांक 21.10.2022 को मेरे अभिभाष्य की इच्छा व अनुमति लिये बिना अरशबा पुत्री श्री असलम के साथ विवाह किया था। विवाह करने के पश्चात् से यह दोनो हमारा कोई मान सम्मान नही [illegible] उन्होने अपने पुत्र [illegible] अचल सम्पत्तियों से [illegible] लिये है। भविष्य में [illegible] लेन देन करेगा या [illegible] अभिभाष्य की कोई [illegible] भवदीय

[illegible] एडवोकेट मो. 9166148194

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर दिनांक-08.03.2023

जाहिर आम-सूचना [illegible] 28/ST/L261 (1-F)(LIG) [illegible] पार्वती देवी पत्नी [illegible] आवंटन पत्र क्रमांक [illegible] मण्डल, जयपुर

टेन्डर सूचना

दरगाह हजरत दाता अमानीशाह जयपुर में दिनांक 10.03.2023 से झूले के टेंडर फार्म भरे जाकर दिनांक 19.03.2023 को खोले जाएँगे। अधिक जानकारी के लिए कमेटी के दफ्तर में संपर्क करें।

सदर जमील उर्रहमान फारूकी इंतेजामिया वक्फ कमेटी दरगाह अमानीशाह, जयपुर मो.-9887747786

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

No. 0141-2782772 दिनांक: 03-03-2023

जाहिर आम सूचना [illegible] क्षेत्रफल 112.50 [illegible] लाल शर्मा पुत्र स्व. [illegible] आवंटन पत्र कमांक [illegible] इनके द्वारा उक्त [illegible] प्राप्त कर लिया [illegible] के पत्र कमांक [illegible] जीत खुराना पुत्र श्री [illegible] जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 24.12.1996 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री गुरूचरण जीत खुराना की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती ज्योति खुराना पत्नी स्व. श्री गुरूचरण जीत खुराना ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती ज्योति खुराना पत्नी स्व. श्री गुरूचरण जीत खुराना के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबंधक- वृत द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय

जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या- 2/L/359 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 67.50 वर्ग मीटर का आवंटन श्री शरद लोयलका पुत्र श्री पुरूषोत्तम लोयलका को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 10625 जारी किया गया। उनके द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 10.06.2013 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री शरद लोयलका पुत्र श्री पुरूषोत्तम लोयलका के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री गोपाल लाल मीणा पुत्र श्री प्रताप मीणा को कर विक्रय पत्र का निष्पादन उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 16.06.2015 को करवाया गया। उक्त विक्रय के संबंध में कार्यालय उप पंजीयक जयपुर अष्टम में दिनांक 29.10.2015 को शुद्धि पत्र का निष्पादन करवाया गया। तत्पश्चात श्री गोपाल लाल मीणा पुत्र श्री प्रताप मीणा के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 11.08.2015 को श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री महेश भारद्वाज को मुख्त्यारनामा आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात मुख्त्यार आम श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री महेश भारद्वाज के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान श्री हितेश सचदेवा पुत्र श्री ओम प्रकाश सचदेवा को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 18.02.2016 को करवाया गया। श्री हितेश सचदेवा की मृत्यु दिनांक 11.09.2020 को हो जाने के कारण श्रीमती संध्या सचदेवा पत्नी स्व. श्री हितेश सचदेवा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, विक्रय पत्रों की छाया प्रति, मुख्त्यारनामा आम की छाया प्रति, हकत्याग पत्र की छाया प्रति एवं राशन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती संध्या सचदेवा पत्नी श्री हितेश सचदेवा के पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबन्धक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

Email ld-dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772

क्रमांक-DHC-II/3037 दिनांक-27.2.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 101/153, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री राजकुमार म्यालानी पुत्र श्री प्रभूलाल म्यालानी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2263 दिनांक 27.6.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 12.12.1994 को प्राप्त कर लिया गया था। पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 7063 दिनांक 28.12.1994 के द्वारा श्री राजकुमार म्यालानी पुत्र श्री प्रभूलाल म्यालानी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर में दिनांक 31.12.1994 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री राजकुमार म्यालानी पुत्र श्री प्रभूलाल म्यालानी के द्वारा आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्रीमती सुमन अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती गोविन्दी अग्रवाल पत्नी श्री गैंदी लाल अग्रवाल को कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयन जयपुर में दिनांक 20.12.2001 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती गोविन्दी अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 30.10.2003 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती सुमन अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल ने 1/2 अविभाजित हिस्से को मृत्यु पश्चात् नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं नोटेरी सत्यापित वसीयतनामा प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्रीमती सुमन अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फ्लेट सम्पूर्ण थर्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर-60 स्कीम-विश्वेषरिया नगर विस्तार, गोपालपुरा बाई पास रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 514.96 वर्गमीटर एवं जिसका कारपेट एरिया 117.77 वर्गगज सम्पूर्ण को मेरी अभिभाष्या श्री प्रवीण पारीक ने श्री रचित कुमावत एवं श्री यश कुमावत से क्रय करने का इकरार किया है जो कि उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष विक्रेतागण के माताजी श्रीमती माधुरी कुमावत के हक में दिनांक 17.06.2013 विक्रय पत्र लिखा हुआ है जो कि उक्त वर्णित सम्पत्ति के मूल दस्तावेजों में विक्रय पत्र दिनांकित 17.06.2013 की गुमशुदगी की सूचना सम्बन्धित थाने शिप्रा पथ मानसरोवर में कर दी गई है जो कि प्रथम पक्ष विक्रेतागण द्वारा भविष्य मे कभी भी उक्त विक्रय पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय पक्ष क्रेता श्री प्रवीण पारीक को सुपुर्द कर दिया जायेगा तथा उक्त विक्रय पत्र प्राप्त होने पर प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वारा किसी भी प्रकार का मूल दस्तावेज का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा तथा उक्त सम्पत्ति को क्रय करने बाबत मेरी अभिभाष्या आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड से गृह ऋण ले रहे है उक्त ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 7 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

दिनांक-09.03.2023

सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट, मो.-9214318413

fincare Small Finance Bank

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. www.fincarebank.com

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **16 March 2023** at below mentioned branches.

BANSWARA - 22660000476424 | **BHILWARA** - 22660000483941 | **CHITTORGARH** - 22660000424943 | **DUNGARPUR** - 22660000464147 | **JAIPUR-TRIVENI NAGAR** - 22660000448528, 22660000536442, 22660001039231, 22660001060110, 22660001113182 | **JHALAWAR** - 22660000486245 | **KOTA - GHODE WALE BABA CROSS ROAD** - 22660000446272, 22660000446482 | **UDAIPUR - MADHUBAN BANK STREET** - 22660000428016, 22660000447880, 22660000456632, 22660000477782, 22660000505072, 22660000604005

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.